

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20/08/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप। तनवी अग्रणी जयें 18/08 नोटिस से की जाकर पत्रावली दिनांक 18/09/2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बादी कुई (दोसा)
18/09/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप। तनवी अग्रणी जयें 18/08 नोटिस से की जाकर पत्रावली दिनांक 23/09/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बादी कुई (दोसा)
23/09/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप। शत्रु पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी गिर से 1, 2 के दावा नोटिस द्वारा पत्रावली में संलग्न हो अप्रार्थी गिर से 1, 2 अवयुक्त तामीर लिस्ट उप. नहीं। ना ही उनकी ओर से कोई बिचित्र निमित्त उप. आया। अतः अप्रार्थी गिर से 1, 2 के लिस्ट उप. ग्रीव अप्रार्थी अमल में लाई जा रही है। बहस पत्रावली दिनांक 24/09/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बादी कुई (दोसा)
24/09/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 13/10/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बादी कुई (दोसा)
13/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस की गई हमने प्रार्थी वकील बहस पर अनुरोध किया। प्रा. पत्र एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। मूलवाद दावा निषेधाज्ञा का है। जिसका पर्याप्त साक्ष्य सबूतों के आधार पर विधिवत निस्तारण किया जाना है। मूलवाद के विधिवत निस्तारण होने तक अप्रार्थी गिर को वादग्रस्त क्षमता में मजहूम रखा जाएगा। उप खण्ड अधिकारी बादी कुई (दोसा)

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

कलेक्टर

मुकाम

बांदीकुई

किशोर

बनाम

राजाराम

प्राथम्य अस्थायी निषेधाज्ञा

59 सन 2023

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

पैदा करने के अन्देश के महय नजर प्रति-
बंधित किया जाना उचित प्रतीत होता है
अतः प्राची बकील के हिस पर मनन करने
स्व पगावली के अवलोकन के आधार
पर प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थायी
निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 7/6/2023 ताफेस
मूलवाद Confirm किया जाता है। पगावली
केसल शुमार लेकर बादतकमित हमफिता
मूलवाद रहे।

24/6/23/10/25
उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दोष)